

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
31.03.2023

मिसल नम्बर

20 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

तारीख दायरा

17.02.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1-श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन निवासी जैल रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक
- 2-मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक
- 3-श्री विशाल गिनोडिया पुत्र श्री मदन गोपाल गिनोडिया निवासी 5393, सांभरियों का चौक, संजय मार्केट के पास, घाट गेट, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.
- 4-मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.
- 5-श्री मदन गोपाल गिनोडिया पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी 5393, सांभरियों का चौक, संजय मार्केट के पास, घाट गेट, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.
- 6-मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 31.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.11.2022 को समय 02:30 पी.एम पर मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सत्येन्द्र जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ प्लास्टिक के 2 कट्टों में लगभग 40-50 किलोग्राम मूल पॉली पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 ग्राम पैक हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के



तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सत्येन्द्र जैन को फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 07 एवं पैकिंग की दिनांक 12 अक्टूबर 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3339 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3339 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा शेष बचे हल्दी पावडर कुल मात्रा 45 किलोग्राम को नियमानुसार सीज कर श्री सत्येन्द्र जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्मिलवाया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्य करते समय विक्रेता श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन ने मौके पर बतौर मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज. का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3966 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि ग्वाह विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3348/एक्ट/2022/3399 दिनांक 22.11.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया गया हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14



वीकेआई एरिया जयपुर राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए, जवाब पेश किया एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया तथा सीज की गई हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) को सीज मुक्त करवाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे। साथ ही पेरोकार सरकार ने सीज की गई हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) को सीज मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 31.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सीज की गई हल्दी पावडर (लहर ब्राण्ड) को सीज मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)  
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0